

महात्मा ज्योतिबा फुले

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली



महात्मा ज्योतिबा फुले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली



प्रवेश नियमावली  
शैक्षणिक सत्र  
2023-24

2023-24

# महात्मा ज्योतिबा फूले

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली



महात्मा ज्योतिबा फूले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रवेश नियमावली  
शैक्षणिक सत्र

2023-24

## संदेश

शिक्षा मानव जीवन को किसी भी छीज से अधिक शक्तिशाली रूप से बदल सकती है। युगों रो, भारत को ज्ञान समाज बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त था तक्षशिला, नालदा और विक्रनशिला विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परम्परा का सबश्रेष्ठ प्रमाण हैं। एमजेपी रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति के रूप में, मैं इसे अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय परिसर में ज्ञान बढ़ान करने और प्रसारित करने और 'चरेते, चरेति' के आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें। चाहे आप छात्र हों, पूर्व के छात्र हों, संकाय सदस्य हों या कर्मचारी हों, उत्तर प्रदेश या भारत के नागरिक हों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू) आपका है। एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत सचालित विभागों और सबद्व कॉलेजों का एक समूह है जो रोहिलखण्ड के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें नी जनपद शामिल हैं, बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बदायू, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इस प्रकार क्षेत्रवार के दृष्टिकोण से यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। उत्कृष्टता के लिए पैतालीस वर्षों की प्रतिबद्धता, जिसमें लगभग 562 कॉलेज और संस्थान शामिल हैं, ने हमें देश के सबसे कुशल और सम्मानित विश्वविद्यालय में से एक स्थान दिलाया है। हमारे कुछ सबद्व कॉलेजों में अकादमिक उत्कृष्टता की 150 से अधिक वर्षों की विरासत है।



मेरा मानना है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को उसके यहीं अध्ययनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से जाना जाता है जो वह उत्पन्न करता है और मैं इसे 2,00,000 से अधिक नए, पूर्व छात्रों और हर साल कुल 5,00,000 से अधिक छात्रों के जीवन को बदलकर मानव पूँजी के निर्माण के मिशन के रूप में लेता हूँ जो नामांकन करते हैं। विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से मैं बाहता हूँ कि वे अभिनव, विविध, विश्व स्तर पर लगे हुए नागरिकों और भविष्य के नेताओं के रूप में चमकें एवं हमारे नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करें और दूसरों को समृद्ध बनाने और असंख्य तरीकों से जनता की भलाई में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय न केवल विद्यारों में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्म ने भी भारतीय होने के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और मानव अधिकारों के सातत विकास और दैशिक वल्युण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करने वाले स्वभाव का परिचायक है, जो अंततः भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।

एमजेपीआरयू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) प्रणाली के क्रियान्वयन और निष्पादन के वरण में प्रवेश कर रही है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक छात्र को सीखने के व्यापक अनुभव और अच्छे भौतिक वृनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए एक सुरक्षित और ज्ञान वर्धक अधिगम का महील प्राप्त हो। हमारा लक्ष्य न केवल इन गुणों को प्राप्त करना होगा बल्कि देश और विदेश में महात्मा ज्योतिबा रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय को एक उच्च स्थान प्राप्त कराना है, यह दृष्टिकोण एमजेपीआरयू को शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव में उत्कृष्टता के नए स्तरों तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। हम 21 वीं सदी में एमजेपीआरयू को सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौड़ल बनाने की योजना बना रहे हैं।

उसा कि आप जानते हैं, एमजेपीआरयू प्रशासन ने ऑनलाइन शिक्षण या वैकल्पिक वितरण तंत्र पर अग्रसर होते हुए और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रवेश, जैक्सा और मूल्यांकन के दौरान छात्रों के सार्वजनिक एकत्रीकरण को कम करके एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, जो कि हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस कोविड-19 महामारी ले प्रकोप को धीमा करने का मूलमत्र है। एमजेपीआरयू में आपकी सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें आपके शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने का मौका मिलने पर हर्ष है।

प्रो. के. पी. सिंह  
कुलपति

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

## विषय सूची

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 1. | महात्मा ज्योतिश्वार कूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय एक संक्षिप्त परिचय – | 01    |
| 2. | महात्मा ज्योतिश्वार कूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, मिशन एवं डिजन –     | 01-02 |
| 3. | राक्षसी शाराना देश –  | 03-12 |
| 4. | प्रवेश नियमावली (2023-24)   | 13-25 |

## महात्मा ज्योतिवा फूले रहेलखंड विश्वविद्यालय ,बरेली

महात्मा ज्योतिवा फूले रहेलखंड विश्वविद्यालय , बरेली की स्थापना 1975 में एक संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। 1985 में इसकी स्थिति लो संबद्ध-सह-आवासीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया था तथा परिसर में बार शैक्षणिक विभाग स्थापित किए गए। 1987 में तीन और विभाग जोड़े गए। अगस्त 1997 में रहेलखंड विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर अहात्मा ज्योतिवा फूले रहेलखंड विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने विकास योजना का एक समग्र परिप्रेक्ष्य लिया है और इस तरह अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विज्ञान, शिक्षा और संबद्ध विज्ञान आदि के नए संकायों को शामिल करके विश्वविद्यालय ली रिस्थिति को सुदृढ़ किया है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्न राकाय हैं—

- उन्नत सामाजिक विज्ञान
- विज्ञान
- शिक्षा
- कृषि
- शिक्षा और संबद्ध विज्ञान
- कला
- वाणिज्य
- आयुर्वेद विज्ञान
- अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
- विधि
- प्रबंधन
- अनुप्रयुक्त विज्ञान

विश्वविद्यालय का मुख्यालय बरेली जनपद में स्थित है, जिराका अधिकार क्षेत्र बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, विजनीर, ज्योतिवा फूले नगर, बदायू, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद तक है। विश्वविद्यालय परिसर 206 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। परिसर में प्रशारान्विक भवन, राकाय भवन, कृषीय पुस्तकालय, बहुउद्दीय हॉल, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, कुलपति आवास, और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, सकाय सदस्य, गेर-शिक्षण कर्मचारी के लिए स्टाफ क्वार्टर, अतिथि गृह और खेल परिसर हैं। यहाँ एक चिकित्सा केंद्र भी है। गानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ राकाय सदरय विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्राप्त पोषित अनुसंधान परियोजनाएं चला रहे हैं और अब तक सूझीसी, एआईसीटी, ईएसटी, सीएसटी, आईसीएआर, आईसीएचआर, एगआईएफ द्वारा प्राप्त पोषित 49 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। संबद्ध कॉलेज के शिक्षक भी उपरोक्त एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के अनुरूप परिसर के विभिन्न विभागों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए स्वयं को उन्नत किया है।

महात्मा ज्योतिवा फूले रहेलखंड विश्वविद्यालय ,बरेली का मिशन एवं विज्ञान

रोहिलखंड विश्वविद्यालय का मिशन है—

- उच्च शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसे यह एक लोकतांत्रिक अधिकार मानता है।
- सीखने, रिखाने और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।
- रचनात्मक क्षमता का एहसास कराना और इसके सभी सदरयों की कल्पना को प्रज्वलित करना।
- समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान करने के लिए अपने छात्रों को तैयार करना।

नजरिया (Vision):—

नई शताब्दी में विश्वविद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाए। यह सीखने वाले समाज और ज्ञान एवं अर्थव्यवस्था दोनों में महत्वपूर्ण सर्थान के रूप में ख्याति प्राप्त करे।

- उदारवादी शैक्षणिक संस्कृति सुदृढ़ करते हुए भविष्य के समाज पर निर्भर करने वाले कटूरपंथी विवारों और तिणोषज्जों के ज्ञान का विकास करना।

- शिक्षण और अनुसंधान में उच्च मानकों की रक्खा करते हुए उच्च शिक्षा में आजीवन भागीदारी के लिए एक लोकतात्रिक अधिकार स्थापित करना।
- विश्वविद्यालय नवाचार का प्रवर्तक और परंपरा का रक्खा दोनों हैं। नए प्रौश्य को छालना और नई रामाजिक पहचान को आकार देना।
- रोहिलखंड विश्वविद्यालय अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी छात्र संख्या एवं उसकी विविधता में तथा समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ इसके युडाव की विविधता में एक वृहद विश्वविद्यालय है।
- रोहिलखंड विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने भिजन को पिछली भूमिकाओं के बजाय भविष्य की रागावनाओं को रादर्ग में पारिभाषेत करता है, और उत्तमानुराग अपनी योजनाओं का फ़िल्यान्वयन करता है।
- रोहिलखंड विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान और एक शिक्षण संगठन है। जिसका विश्वास है कि ज्ञान नई शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

### **लर्निंग कल्चर (Learning Culture):—**

रोहिलखंड विश्वविद्यालय एक ऐसी अधिगम (learning) की संस्कृति स्थापित करना चाहता है जिसमें उच्चतम गुणवत्ता के शिक्षण और अनुसंधान समान रूप से फैलने—फूलने में सक्षम हो। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नवीनता और नवाचार के लिए उत्साह के साथ पारंपरिक शैक्षणिक मूल्यों के प्रति सम्मान लो जोड़ना है।

यह ज्ञान की सार्वभौमिकता और अकादमिक विषयों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को प्रतिविवित करने के लिए शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला की प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### **पहले छात्र (student first):—**

रोहिलखंड विश्वविद्यालय छात्रों को अपने योजनाओं के केंद्र में रखता है। यह आशिक रूप से एक लघीली लकिन चुसंगत मौड़यूलर प्रणाली के विकास के माध्यम से, उच्च शिक्षा के लिए एक कठोर और अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप अकादमिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### **विश्व पटलपर विश्वविद्यालय की रिथ्टि:—**

रोहिलखंड विश्वविद्यालय अपने शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान की सार्वभौमिकता और मानव मूल्यों का स्थापित करने के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करले और अपने सभी छात्रों को एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान कर अन्यराष्ट्रों के साथ समन्वय साथ रखकर छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

यह इकीरावी सदी में अपने छात्रों को वैश्विक कैरियर के लिए तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी रवीकार करते हुए, भारत के बाहर, विशेष रूप से एशिया और विकासशील देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ अपने वर्तमान राहगांी सबंधों को मजबूत करने और विरासित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ - 227332

प्रेषक :

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या ई- 4681 / जी०एस०  
दिनांक : 11/06/2010

विषय : विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया रिट पिटीशन संख्या -2830 / 2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22. 09.2005 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय / महाविश्वविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-404 / सत्र-1-2006-17 (18) / 05 दिनांक 28 मार्च, 2006 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रत्यक्ष-1(3) में यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिये कॉलेज के प्राचार्य या प्रबंधक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेंगे।

इस क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-61 (घ) के अनुसार (घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के राखी या किसी उपबन्ध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो यह अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर माठ उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.09.2005 एवं शासनादेश का कड़ाई से अनुपालग सुनिश्चित किया जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध / सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित किया जाये।

महोदय,

कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता

प्रेषक,

राजीव कुमार, सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

- 1—कुलपति, समरत राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
- 2—निदेशक, उच्च शिक्षा, उम्प्र०  
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 28 मार्च, 2006

**विषय :** विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-2830 (एम एस) / 2004 द्वारा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा रिविल जज (जूनियर डिवीजन) रादर, फैजाबाद व अन्य में पारित, आदेश दिनांक 22.9.2005 में मात्र उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिय गये हैं

- (1) प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात न तो विश्वविद्यालय और न ही उससे सम्बद्ध या सहयुक्त कालेजों को किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने का कोई अधिकार है और यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रवेश दिया गया है तो ऐसे प्रवेश निरस्त करने होंगे और ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के जुलपति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात किसी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति ने दी जाय।
- (2) प्रवेश के अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद और उसके पश्चात 15 दिन के भीतर सम्बद्ध, सहयुक्त कॉलेज या संस्थायें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट अभ्यर्थियों को सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अभिलेख के लिए भेजेगी। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी जिनके नाम इस सूची में होंगे।
- (3) यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिए कॉलेज के प्राचार्य या प्रबन्धक, जैसी रिधति हो, आपराधिक रूप में अभियोजित किये जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रविधान व श्री कुलाधिपति के प्रपत्र के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही का आधार भी होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश करने पर वैसी ही कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलपति या संस्थान अधिकारी के विरुद्ध भी की जा सकती है।
- (4) सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य या उन्नति के लिए छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे जिनको प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात या विषय में स्वीकृत संख्या से अधिक या विना मान्यता प्राप्त विषय में प्रवेश दिया गया है। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिषत्र के विरुद्ध किया गया कार्य सम्बन्धित संस्था को गान्यता विहीन करने और प्राचार्य एवं मैनेजर के विरुद्ध जायेवाही का आधार होगा। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिषत्र का अतिक्रमण संस्था के प्राचार्य को वृहद दण्ड देने का आधार भी हो सकता है।
- (5) विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अपराध बनने पर भी प्राचार्य एवं कमटी ऑफ मैनेजमेंट को आपराधिक रूप में अभियोजित किया जा सकता है। 2—कृपया विश्वविद्यालय संस्था पर मात्र उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयादेश का कलाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध / सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। 3—ये निर्देश भी कुलाधिपति जी के अनुगामन से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार) सचिव।

प्रेषक

बी.बी. सिंह  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—कुलसचिव  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय  
उत्तर प्रदेश।

2—निदेशक  
उच्च शिक्षा  
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुनाग-1

लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2015

विषय: राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु समय-समय पर कई शासनादेश जारी किये गये हैं। रिट याचिका संख्या 729(एस./बी.)/2012 डा० सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 4236/2014 वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में ना० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में राज्य विश्वविद्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें और महाविद्यालयों में आधार-भूत नुस्खाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता को भी आधार माना जाय।

2—ना० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 729(एस./बी.)/2012 डा० सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 750/सत्तर-1-2013-16(20)/2011 दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अधीन ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय को निर्गत किये गये हैं।

3—शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सीट से अधिक प्रवेश लिया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों के विपरीत हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।

1—प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विषय में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें। विषयवार स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-28(4) का उल्लंघन है। अतः और अधिक संख्या में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उक्त अधिनियम की धारा 28(6) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य होंगे।

2—प्रत्येक वर्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों को

पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित की जायेगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में पाठ्यक्रम व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी ताकि जनसामान्य को यह सूचना उपलब्ध रहे।

- 3- महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षण कक्ष, शिक्षकों की संख्या आदि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करते समय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये विषयवार सीटों का निर्धारण किया जायेगा और संबंधित महाविद्यालय को यथाशीघ्र सूचित करते हुये जनसामान्य के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित की जायेगी।
- 4- पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सीटों की संख्या निर्धारित करते समय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात के निर्धारित मानक का अनुपालन किया जायेगा, जो वर्तमान में 1 : 60 है, तथा जिसे 1 : 80 तक कुलपति की अनुमति से शिक्षण सत्र हेतु नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- 5- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध द्वारा सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया की दिन-प्रतिदिन के आधार पर गहनता पूर्वक समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक महाविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह भरी गयी एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रपित करे। प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा कुल पाठ्यक्रमवार व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या, उसके सापेक्ष दिये गये प्रवेश तथा रिक्त सीटों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जनसामान्य के अवलोकनार्थ अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रवेश के अंतिम दिन से पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार प्रवेशित छात्रों की सूची उनकी मेरिट के अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित करे जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार स्वीकृत छात्र संख्या के तहत भर्ती किये गये छात्रों को ही परीक्षा प्रपत्र स्वीकार किये जाएं और केवल उन्हीं छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।
9. जो महाविद्यालय उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उनका सम्बद्धीकरण / मान्यता राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 (B) निरस्त करने की कार्यवाही पर भी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाय।
10. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमवार व विषयवार शिक्षकों के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तावों का निरतारण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर अवश्य कर दिया जाए, ताकि पठन पाठन के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश दुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

गवर्दीय,

(वी० वी० सिंह)  
विशेष सचिव।

## संख्या—421 (1) / सत्र — 1 — 2015— तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश ।
- (2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- (3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश का इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कपया शासनादेश संबंधित जनपदों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/ रघुवित्तपेषित महाविद्यालयों के प्राचार्यार्थों को प्रेषित करते हुये दिशा—निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को प्रतिभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करते हुये समस्त संबंधित कोई ई—मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) निजि सचिव, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ। समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) गार्ड फाइल

भवदीय,



(तीरन्द नाथ)

अनु सचिव

**उत्तर प्रदेश सरकार**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग -2**  
**संख्या – 1191/सत्तर -2-2010-3(58)/79**  
**लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2010**

**अधिसूचना**  
**आदेश**

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -23 सन 2006) की धारा 4 के अधीन भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थानों जिसके अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षणिक वर्ग में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्गटण के सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था है :-

- |  |  |
|--|--|
| (क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए                | : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 21 प्रतिशत |
| (ख) अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए             | : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 2 प्रतिशत  |
| (ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए | : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों क 27 प्रतिशत |

रिट पिटीशन संख्या 2160 (एम०/ बी०)/ 2009 ऊषा एजुकेशनल इस्टिट्यूट बनाम राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शक्षण संस्थानों में लागु किये जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश को अपास्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 23 सन 2006 की धारा 12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा मा० उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों /संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किए जाने का आदेश प्रदान करते हैं :-

- |  |   |
|--|---|
| (क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए  | : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत |
| (ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र/ पुत्रियों को | : प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत |

(ग) शारीरिक रूप से निश्चत्तजनों के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
(घ) महिलाओं के लिए	: प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्रिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह सम्बंधित है । उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत / भूतपूर्व सेनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा । इसी प्रकार किसी प्रवेश सीट पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य) उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा, उदाहरण के लिए यदि महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति की है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा । यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी । प्रवेश सीटों पर चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सके तो वह सीटें उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी । 3— यदि उत्तर प्रस्तर –1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उस श्रेणी से सम्बंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा ।

4— यदि प्रस्तर–3 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बंधित व्यक्तियों से भरा जायेगा ।

5— यदि प्रस्तर –1 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तर–3 या 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात भी बिना भरे रह जाती हैं तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा ।

6— यदि उत्तर प्रस्तर –1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बने रहना चाहता है तो उसे उत्तर प्रस्तर –1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा ।

7— उपयुक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व किसी शैक्षणिक वर्ष में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय का होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रक्रिया का उल्लंघन अधिनियम की धारा – 6 के अंतर्गत दड़नीय अपराध होगा ।

अनिल संत  
सचिव ।

संख्या – 1191(1)/ सत्र –2-2010 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव
- (2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- (4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ऐ-46, शाति पथ, तिलक नगर, जयपुर
- (5) सचिव, बार कौसिल ऑफ इंडिया, 21, साउथ एवेन्यू, इंस्टीटूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
- (6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
- (7) समन्वयक, संयुक्त प्रबोध पश्चिम बी० एड० -2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- (8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- (9) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ
- (11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
- (12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(डॉ रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव

**उत्तर प्रदेश सरकार**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग –2**  
**संख्या – 1483/सत्तर –2–2010–3(58)/79**  
**लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2010**  
अधिसूचना  
आदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग –2 के आदेश संख्या 1191/सत्तर –2–2010–3(58)/79 दिनांक 11 जून, 2010 के प्रस्तर–2 के निम्न अंशों को संशोधित करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अनुमति प्रदान करते हैं : –

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
<p>(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी ।</p>	<p>(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति नहीं की जाएगी बल्कि सामान्य श्रेणी में की जाएगी ।</p>

(विमल किशोर गुप्ता)  
विशेष सचिव

संख्या – 1483/सत्तर –2–2010– तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

- (1) महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव
- (2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- (4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर
- (5) सचिव, बार कौसिल ऑफ इंडिया, 21, साउथ एवेन्यू, इंस्टीटूशनल एरिया, नई दिल्ली–2
- (6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
- (7) समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी० एड० –2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

- (8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- (9) निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
- (10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ
- (11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
- (12) गार्ड फाइल।

(डॉ रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव



# महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेल खंड विश्वविद्यालय, बरेली

## प्रवेश नियमावली (परिसर एवं महाविद्यालयों के लिए)

### शैक्षणिक सत्र – 2022-23

#### खंड 'क'

- (क) विश्वविद्यालय /सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश राज्य स्तरीय / विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय केंद्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे ।  
(ख) विगत सत्र 2022-23 की भाँति ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) एवं उक्त के क्रियान्वन हेतु शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप ही होगी एवं सत्र 2023-24 में स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे । परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी सत्र 2023-24 में समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे ।
- डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अहर्ता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी जैसा की नीचे उल्लेख है ।
- (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो । जिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार / बैक पेपर परीक्षा / पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती हैं उनमें अगली कक्षा में प्रवेश सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार होगा ।  
(ख) 3(क) के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल. एल. बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पैर लागू (प्रयोज्य ) होगी ।  
(ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्हत होना चाहिए।
- (क) परीक्षार्थी को बी. ए. / बी. एस. सी. / बी कॉम/ एल. एल. बी. (सेमेस्टर सिस्टम) / बी. बी. ए. /बी. सी. ए . की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में एम. ए . / एम. एस. सी. / एल. एल. एम. / एम. बी. ए . पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी. एस. सी. (कृषि) एवं बी. टेक. / बी. ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा अधिकतम 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी । अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी पाठ्यक्रम की अवधि का अधिकतम दोगुने वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा । वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो । यह नियम व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगा ।  
(ख) यू. एफ. एम. के छात्रों को उत्तने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से विचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना विचित में नहीं होगी ।
- परीक्षार्थी को 4(क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण / पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।
- जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी । भूतपूर्व छात्र वही होंगे जो संस्थागत छात्र के रूप में अनुत्तीर्ण हुए हैं ।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक दिनांक 30.09.2022 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमत्य किया गया है यथा कोई भी छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है जिसमें एक पाठ्यक्रम नियमित प्रकृति का होगा एवं दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन /प्राइवेट मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूर्ण कर सकता है।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पनः किसी संकायान्तरागत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अहं होगा बश्यते अभ्यर्थी उस संकाय में प्रवेश की अहती रखता हो।  
 (ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात मात्र बी.एड./बी.पी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम का पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में अभ्यर्थी का नामांकन विश्वविद्यालय में निष्क्रिय रहेगा।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा—
  - (क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिकारी की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
  - (ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।
  - (ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, विधि एवं अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
  - (घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दफ़ित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।
10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब-ए-माहिर/अदीब-ए-कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।  
 (ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जायेगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा कार्य भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समरत विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। परन्तु जो पाठ्यक्रम BCI/AICTE/NCTE/PCI/MCI आदि

के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं उन पाठ्यक्रमों हेतु उक्त वर्णित संस्थाओं में रेग्यूलेटरी बाड़ी के द्वारा प्रदत्त नियम मान्य होंगे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की वाध्यता नहीं होगी।

13. बी.एड./एम.एड./एम.एससी./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक. कक्षाओं में प्रवेश समिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित न करें।
14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सन्मानित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवर्जन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
15. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति / संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य रागिति / संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आधिक, छात्रों का अहित आदि) के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. छात्र ने रनातकोत्तर उपाधि पहले रो ही संख्यागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उक्त छात्र को नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि इच्छुक हो, तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।
17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता-प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकारी प्रमाण पत्र सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।
18. एम.एससी. (राष्ट्रीय विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, सांगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा –
  - (क) निर्धारित संख्या (रवीकृत रोटों रो) अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
  - (ख) रनातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता शर्त उपग्रुहित नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एससी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो), अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियनानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात् उनके लिये 40 प्रतिशत होगा।
  - (ग) छात्र एम.एससी./एम.ए. में प्रवेश के लिये उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने रनातक अन्तिम रत्त पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  - (घ) 1. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय / एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अहंता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बार काउन्सिल आफ इडिया द्वारा प्राविधानित नियम 'III Rules of Legal Education' के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में आन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42

प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतः सामान्य जाति हेतु 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अहंता रहेगी।

2. प्रवेश में शारानादेश के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। राष्ट्रीय वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. बार काउन्सिल आफ इण्डिया (बी.सी.आई) द्वारा जारी चैन्टर –'॥ Standard of Professional Legal Education Rule 10' का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

- (च) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेवशन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (छ) मास्टर आफ लॉ (एल.एल.एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये वे विद्यार्थी अहं होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) / एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) डिग्री प्राप्त की हो। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।
19. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
- (ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अमर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मता कर सकते हैं, भले ही मामला जैसा भी हो।
- (घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (ङ) जो विद्यार्थी प्राचार्य / प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिसा, गुण्डागीरी, रेंगिंग अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
20. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.इ. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
- (ख) बी.एस.सी. – कृषि के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट जीव विज्ञान (बायो ग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 अंक घटाकर किया जायेगा। स्पष्टीकरण – गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर भी लागू होगी।
- (ग) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अहंता इंटरमीडिएट गणित विषय होगी।

21. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी.काम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5 अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस.सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में न लेकर सहायक/गौण विषय के रूप में लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अन्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस.सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संरक्षण छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड आफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।
22. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस.री. गणित और कम्प्यूटर साइंस में भी प्रवेश के लिये अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए नॉन स्ट्रीम श्रेणी के अन्तर्गत अर्ह होंगे।
23. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये पात्र नहीं होंगे।
24. जिन विद्यार्थियों ने जामिया उर्दू अलीगढ़ रो अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होंगे।
25. जिन अन्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
26. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इंटर के समकक्ष मानते हुये स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
27. जिन अन्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे कमश. बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे।  
**स्पष्टीकरण—**सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं आचार्य संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
28. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिये नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपनी ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत जब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।  
महाविद्यालय/विभाग अस्थायी/अनन्तिम रूप रो प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को रात्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
30. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम रो होगा। उन पाठ्यक्रमों में समिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। छात्र हित में यदि आवश्यक हो तो प्रवेश समिति प्रक्रिया में यथानुसार उचित परिवर्तन कर सकती है।

31. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आशयकतानुसार ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रणाली से करायी जायेगी। इसकी अधिसूचना (Notification) पृथक से जारी की जायेगी।
32. प्रवेश समिति दिनांक 05.03.2002 के बिन्दु संख्या 6(1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत है— “सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।”
33. बी.टेक, एवं बी.फार्मा, उत्तीर्ण छात्र एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अहं होंगे।
34. कोविड-19 के दृष्टिगत समर्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश समिति दिनांक 02.07.2021 के निर्णयानुरूप सम्पन्न करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं। उक्त के अनुरूप समर्त महाविद्यालय योग्यता सूची तैयार कर विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया अपनायेंगे।
35. बी.पी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा अथवा प्रवेश समिति के अन्य कोई निर्णय के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।
36. विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएच.डी. के छात्र जो किसी कारण से एक कोर्स वर्क में शामिल नहीं हो सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें अगले कोर्स वर्क में समिलित होने का अवरार दिया जायेगा।
37. बी.काम, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वही नियम लागू होंगे जो कि सामान्य बी.काम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित हैं।

#### खण्ड—‘ख’

##### विशेष निर्देश:

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्ताकारों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 संख्या 1191 // सत्र-2-2010-3 (58) / 79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों / संस्थाओं एवं साजकीय महाविद्यालयों / संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा—

##### (i) लम्बवत् आरक्षण :

पिछड़ा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	रामरत सीटों का 02 प्रतिशत

##### (ii) क्षैतिज आरक्षण :

क स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आनंदित के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
ग शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
घ महिलाओं के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

- (iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग (noncreamy layer) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।
- (iv) शासनादेश संख्या 192 / सत्तर-7-2019-बी.एड.(09) / 2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का-2 / 19 टी.सी.-II दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी एवं 'EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमत्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (v) शासनादेश संख्या 4004 / 15-11-88-31581 / 79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।
4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति सतुष्ट हो, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमत्य होगा।
  5. प्रवेश के लिये ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।
  6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा जिसने '10+2' परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु '10+2+3' परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
  7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्षण 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी

- महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश हेतु तैयार की गयी मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे—

अ	(I)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक	10 अंक
	(II)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	5 अंक
ब		विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी	10 अंक
स	(I)	एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र अथवा "जी 1" प्रमाण पत्र	10 अंक
	(II)	"बी" और "जी 1" प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
द	(I)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(II)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(III)	केवल 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
य	(I)	12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट / गाईड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(II)	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(III)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(IV)	रोवर्स / रेजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट : किसी भीस्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी— अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय कीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे।

9. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्बन्ध होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

**स्पष्टीकरण—**बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.इ. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अंतिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) को समिलित करते हुये

### योग्यता सूची तैयार की जायेगी

10. बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश उन छात्रों को दिये जायेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कॉमर्स से उत्तीर्ण की हो अथवा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2020 के बिन्दु सं 04 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिन छात्र-छात्राओं द्वारा वाणिज्य विषय के अन्तर्गत वोकेशनल कोर्स से इपटर मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली में उल्लिखित नियमों के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वाणिज्य विषय के अन्तर्गत वोकेशनल कोर्सों से उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट छात्र-छात्राओं को अह मानते हुए मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत सीटों के सापेक्ष यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणित सहित) एवं गणित के छात्र उपलब्ध न होने पर अर्थशास्त्र विषय से इंटर से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।
- ऐसे छात्र जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमत्य किये जायेंगे।
11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उददेश्य के लिये बिना कारण बताये प्रवेश के लिये मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसके निरस्त कर सकते हैं।
12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिये अह नहीं होंगे।
13. एम.ए कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम के लिये आरक्षित होंगी। नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहपिज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक के छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण – छात्र “नॉन स्ट्रीम” के अन्तर्गत नहीं आयेगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय – नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिये स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम दोनों में मान्य नहीं होगा।
14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश रथानान्तरण अनुमत्य नहीं होगा।
15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम सविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिये जायें।
16. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है।
- रथानान्तरण के लिये छात्र कारणों का उल्लेख करते हुये देनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात ही रथानान्तरण अनुमत्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे रथानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायेगा। सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या 04 की शर्तें पूरी हो रही हों।

**स्पष्टीकरण—**यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्त उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होगी।

17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रदेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
18. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
19. महाविद्यालयों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।  
यदि यह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त संख्या 04 पर लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इम्नू), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजधानी टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय(यू.पी.आर.टी.ओ.यू.), इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू./यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से '10+2' की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यवित्तगत परीक्षा कार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।
22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-5-1/2008(सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रोग्रामिकी संस्थान (गेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी- NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनरो प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश रामिते की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
23. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिये निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिलिलता प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात् यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होंगे।
24. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्थापित समर्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अहर्य माना जाये।

## **खण्ड- ‘ग’**

विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम

1. MBBS— मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे तथा जिस विषय पर गेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया में नियम नहीं होंगे वहां पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
2. BDS— डेंटल काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा रामय-रामय पर निर्देशित नियम लागू होंगे तथा जिस विषय पर डेंटल काउन्सिल आफ इंडिया में नियम नहीं होंगे वहां पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
3. BAMS— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्देशित नियम लागू होंगे तथा जिन विषयों पर नियम निर्धारित नहीं होंगे उसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
4. MD/MS— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्देशित नियम लागू होंगे तथा जिन विषयों पर नियम निर्धारित नहीं होंगे उसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
5. MDS— भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्देशित नियम लागू होंगे तथा जिन विषयों पर नियम निर्धारित नहीं होंगे उसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
6. B.Sc. Nursing— भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे तथा जिन विषयों पर नियम निर्धारित नहीं होंगे उसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम मान्य होंगे।
7. BBA— प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
8. BCA— इंटरमीडिएट की परीक्षा में छात्र गणित विषय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
9. B.Sc. Home Science— प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
10. B.Sc. Bio Tech— प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
11. B.Sc. Micro— पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
12. B.Sc. Comp. Sc.— पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों

के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।

13. MSW— स्नातक/परास्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
14. Ad. PGDCA/PGDCA— स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 2 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
15. MCA—AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
16. B.Tech.—AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
17. MBA—AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
18. BHM&CT—AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
19. B.Pharm.- PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
20. M.Pharm.-PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
21. Dip. in Design Commercial— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
22. Dip. in Comp. Application— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
23. Dip. in Yoga— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
24. Dip. in E-Commerce— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
25. Dip. in Env. Management— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
26. Dip. in Photography— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
27. Dip. in Fashion Design— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक

अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।

28. PG Dip. in Office Management— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
29. PG Dip. in Modern Arabic— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
30. PG Dip. in Tourism & Travel Mgmt— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
31. PG Dip. in Bio Tech— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
32. Dip. in Interior Design— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
33. B.Lib.— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक / स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
34. M.Lib.— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। B.Lib. स्नातक / M.Lib. स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।



## Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University

Bareilly- 243006, U.P., India

(An ISO 9001:2015 Certified and NAAC  
accredited (A++ Grade)



- 1. Year of Establishment:** 1975 (Spread in 206 acre land on Pilibhit bypass road)
- 2. University Administration:** i. Prof K.P.Singh, Vice Chancellor ii. Mr. Ajay Krishan Yadav, Registrar
- 3. Vision:** To promote intellectual growth and shape their personal development; remain dedicated and serve humanity through the creation of well-rounded, multi-skilled and socially responsible global citizens.
- 4. Mission:** To Provide multidimensional quality education apart from being producer, preserver and propagator and an embodiment of global knowledge systems.
- 5. Objective:** 1. To develop, preserve and augment best pedagogical infrastructure across the institutional community 2. To significantly enhance gross enrollment ratio 3. To employ, amass, and enrich the best minds in possession of the best academic and pedagogical skills and expertise as faculty and trainee-faculty, give them a duly supportive working environment.
- 6. An Affiliating cum Residential University:** i. 24 University Departments ii. 17 Government Colleges iii. 29 Government Aided Colleges iv. 528 Private Colleges
- 7. Courses offered:** i. 36 Post Graduate ii. 15 Under Graduate iii. Under graduate in Engineering iv. Undergraduate and Post Graduate Programmes in Pharmacy v. Under graduate in Hotel Management & Post Graduate in Management vi. 34 Doctoral Program vii. 9 Diploma and 20 PG Diploma viii. 34 Doctoral Programmes ix. Under Graduate and Post Graduate programs in Agriculture
- 8. Faculty:** i. Applied Science ii. Engineering and Technology iii. Law iv. Management v. Social Science vi. Education and Allied Science vii. Science viii. Arts ix. Commerce x. Agriculture xi. Ayurved
- 9. Departments:** 1. Plant Science 2. Animal Science 3. Microbiology 4. Ancient History & Culture 5. Physics 6. Chemistry 7. Mathematics 8. Humanities 9. Electronics & Communication Engineering 10. Computer Science & Information Technology 11. Electronics & Instrumentation Engineering 12. Electrical Engineering 13. Mechanical Engineering 14. Chemical Engineering 15. Pharmacy 16. Business Administration 17. Hotel Management & Catering Technology 18. Law 19. Education 20. Economics 21. English 22. Psychology 23. Adult Education 24. Social work
- 10. Cells and Directorates:** 1. Directorate of Research 2. Directorate of International Relations 3. Directorate of Social and Corporate Relations 4. Rohilkhand Incubation Foundation 5. Centre of Excellence for Multilingual Studies 6. Atal Centre for Artificial Intelligence 7. Grass Root Innovation Cell 8. Training & Placement Cell 8. Intellectual Property Right Cell 9. Centre of Excellence for Women Studies 10. Women Grievance Cell 11. Rohilkhand University Alumni Association
- 11. Infra Structure:** 1. Well Equipped Labs with modern equipments 2. Training & Placement Cell 3. Advance Sports Complex 4. State of art infrastructure 5. Health Centre 6. Green campus 7. Wi-fi Campus 8. Completely online admission & examination system
- 12. New Programmes Approved by Hon'ble Chancellor:** 1. M.Tech 2. M.Tech-Ph.D. dual degree programmes in various branches of Engineering & Science 3. LL.M. in specialized areas 4. B.Tech. in Civil Engg. 5. Certificate, Diploma and PG diploma in various branches of Engineering, law, women empowerment and different languages 6. PG Degree in different linguistic disciplines.
- 13. Implementation of National education policy- 2020:** The University has already implemented NEP-2020 in UG programmes from the academic session 2021-22 and is in the process of implementing NEP-2020 across all the PG programmes from the session 2022-23.

#### **14. Start of new programmes:**

1. From the academic session 2022-23, University has started a new programme namely "Bachelor of Management Studies (BMS)" offered by Department of Business Administration and PG Diploma in Yoga offered by Department of Applied Philosophy.
2. University has also started M. Tech.- Ph.D. dual degree program in Electronics& Communication Engineering , Electronics and Instrumentation Engineering, Thermal Engineering and production Design and Computer Science & Information Technology.
3. University has Started PG Diploma in following specialized discipline
  - (i) Cyber Law and Forensic
  - (ii) Human Rights and Duties
  - (iii) Media Laws
  - (iv) Yoga Vigyan
4. Diploma Programmes:
  - (i) Diploma of Proficiency in French
  - (ii) Diploma of Proficiency in German
  - (iii) Diploma of Proficiency in Mandarin
  - (iv) Diploma of Proficiency in Spanish
5. PG Degree:
  - (i) Functional Hindi
  - (ii) Pali Language and Buddhist Culture
6. Certificate Programmes:
  - (i) Women Leadership and Empowerment
  - (ii) Women Rights and Legal Awareness
  - (iii) Communicative Skills
  - (iv) English for Business

# **Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University**

## **Bareilly-243006, U.P.**



### ***List of Colleges (2023-24)***

- ***Government Colleges***
- ***Government Aided Colleges***
- ***Self-Finance Colleges***
- ***Constituent Colleges***



**Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University**  
**List of Government Colleges**

Sr.No.	Institute Code	Name	Institute Type	District
1	103	DR. RAM MANOHAR LOHIYA GOVT. COLLEGE, AONLA ( BAREILLY )	Government	Bareilly
2	106	GOVT. MAHAVIDYALAYA, FARIDPUR ( BAREILLY )	Government	Bareilly
3	113	VEERANGNA RANI AVANTIBAI LODHI GOVT. MAHILA MAHAVIDYALAYA, BAREILLY	Government	Bareilly
4	202	GOVT. MAHAVIDYALAYA, BISALPUR ( PILIBHIT )	Government	Pilibhit
5	205	RAM LUBHAI SAHANI GOVT. MAHILA MAHAVIDYALAYA, PILIBHIT	Government	Pilibhit
6	231	GOVT. COLLEGE, HEMPUR, BISALPUR ( PILIBHIT )	Government	Pilibhit
7	305	GOVT. MAHAVIDYALAYA, BILSI ( BUDAUN )	Government	Budaun
8	306	DAMYANTI RAJ ANAND GOVERNMENT COLLEGE, BISAULI ( BUDAUN )	Government	Budaun
9	308	GOVT. MAHAVIDYALAYA, BUDAUN	Government	Budaun
10	338	GOVT. MAHILA MAHAVIDYALAYA, BUDAUN	Government	Budaun
11	339	GOVT. COLLEGE, NADHABHOOD, SAHASWAN ( BUDAUN )	Government	Budaun
12	401	SHREE GURU TEGH BAHADUR SAHIB GOVT. DEGREE COLLEGE, BILASPUR ( RAMPUR )	Government	Rampur
13	402	GOVT. MAHILA (P.G.) MAHAVIDYALAYA, RAMPUR	Government	Rampur
14	403	GOVT. RAZA (P.G.) COLLEGE, RAMPUR	Government	Rampur
15	431	GOVT. COLLEGE, RAZA NAGAR, SWAR ( RAMPUR )	Government	Rampur
16	504	PT. DEENDAYAL UPADHYAY GOVT. MAHAVIDYALAYA, TILHAR ( SHAHJAHANPUR )	Government	Shahjahanpur
17	505	PREM KISHAN KHANNA GOVT. COLLEGE, JALALABAD ( SHAHJAHANPUR )	Government	Shahjahanpur
18	544	GOVT. COLLEGE, KANTH ( SHAHJAHANPUR )	Government	Shahjahanpur
19	690	GOVT. MAHAVIDYALAYA, BHOJPUR ( MORADABAD )	Government	Moradabad
20	727	MAHAMAYA GOVT. DEGREE COLLEGE, SHERKOT ( BIJNOR )	Government	Bijnor

21	808	RAMABAI AMBEDKAR GOVT. MAHAVIDYALAYA, GAJRAULA ( AMROHA )	Government	Jyotiba Phule Nagar
22	818	GOVT. MAHAVIDYALAYA, GANGESHWARI, REHRA ( AMROHA )	Government	Jyotiba Phule Nagar
23	932	GOVT. MAHAVIDYALAYA, GUNNAUR ( SAMBHAL )	Government	Shambhal
24	935	GOVT. MAHAVIDYALAYA, SAMBHAL	Government	Shambhal
25	177	S.R.M. GOVERNMENT AYURVEDIC COLLEGE, BANS MANDI, BAREILLY	Government	Bareilly
26	226	LALIT HARI STATE AYURVEDIC P.G. COLLEGE & HOSPITAL, PILIBHIT	Government	Pilibhit
27	343	GOVT. MEDICAL COLLEGE, BUDAUN	Government	Budaun



***Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University***  
***List of Government Aided Colleges***

Sr.No.	Institute Code	Name	Institute Type	District
1	102	BAREILLY COLLEGE, BAREILLY	Aided	Bareilly
2	104	GANNA UTPADAK MAHAVIDYALAYA, BAHERI ( BAREILLY )	Aided	Bareilly
3	109	KANYA MAHAVIDYALAYA, ARYASAMAJ, BHOOR, BAREILLY	Aided	Bareilly
4	114	RAJENDRA PRASAD DEGREE COLLEGE, MEERGANJ ( BAREILLY )	Aided	Bareilly
5	117	SAHU RAM SWAROOP MAHILA MAHAVIDYALAYA, BAREILLY	Aided	Bareilly
6	208	UPADHI MAHAVIDYALAYA, PILIBHIT	Aided	Pilibhit
7	303	GOVIND BALLABH PANT MAHAVIDYALAYA, KACHLA ( BUDAUN )	Aided	Budaun
8	304	GINDO DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, BUDAUN	Aided	Budaun
9	310	NEHRU MEMORIAL SHIV NARAYAN DAS MAHAVIDYALAYA, BUDAUN	Aided	Budaun
10	501	ARYA MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHAHJAHANPUR	Aided	Shahjahanpur
11	502	GANDHI FAIZ-E-AAM (P.G.) COLLEGE, SHAHJAHANPUR	Aided	Shahjahanpur
12	506	SWAMI SHUKDEVANAND MAHAVIDYALAYA, SHAHJAHANPUR	Aided	Shahjahanpur
13	604	DAYANAND ARYA KANYA DEGREE COLLEGE, MORADABAD	Aided	Moradabad
14	605	DHYAN SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, KANTH ( MORADABAD )	Aided	Moradabad
15	606	GANDHI SMARAK MAHAVIDYALAYA, SURJANNAGAR JAINAGAR ( MORADABAD )	Aided	Moradabad
16	607	GOKUL DAS HINDU GIRLS COLLEGE, MORADABAD	Aided	Moradabad
17	610	HINDU COLLEGE, MORADABAD	Aided	Moradabad
18	612	KEDAR NATH GIRDHARI LAL KHATRI (P.G.) COLLEGE, MORADABAD	Aided	Moradabad
19	615	MAHARAJA HARISHCHANDRA P. G. COLLEGE, MORADABAD	Aided	Moradabad

20	703	GULAB SINGH HINDU MAHAVIDYALAYA, CHANDPUR SIAU ( BIJNOR )	Aided	Bijnor
21	710	RANI BHAGYAVATI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, BIJNOR	Aided	Bijnor
22	711	RANJEET SINGH MEMORIAL (P.G.) COLLEGE, DHAMPUR ( BIJNOR )	Aided	Bijnor
23	714	SAUBHAGYAVATI BAI DANI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DHAMPUR ( BIJNOR )	Aided	Bijnor
24	715	SAHU JAIN COLLEGE, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Aided	Bijnor
25	717	VARDHAMAN COLLEGE, BIJNOR	Aided	Bijnor
26	805	JAGDISH SARAN HINDU (P.G.) COLLEGE, AMROHA	Aided	Jyotiba Phule Nagar
27	936	MAHATMA GANDHI MEMORIAL COLLEGE, SAMBHAL	Aided	Shambhal
28	938	NAVAL KISHORE BHARTIYA MUNICIPAL GIRL'S COLLEGE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Aided	Shambhal
29	939	SHYAM SUNDER MEMORIAL (P.G.) COLLEGE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Aided	Shambhal



***Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University***  
***List of Constituent Colleges***

Sr.No.	Institute Code	Name	Institute Type	District
1		Constituent Government College, Meeranpur Bangar, Bijnor	Constituent	Bijnor
2		Constituent Government College, Hasanpur, Amroha	Constituent	Amroha
3		Sardar Bhagat Singh Constituent Government College, Dhaka Puvaya, Shahjahanpur	Constituent	Shahjahanpur
4.		Constituent Government College,Fatehullaganj, Thakurdwara, Moradabad	Constituent	Moradabad
5.		Constituent Government College,Puranpur, Pilibhit	Constituent	Pilibhit
6.		Constituent Government College, Bhadpura, Nawabganj, pilibhit	Constituent	Pilibhit
7.		Constituent Government College, Richa, Baheri, Bareilly	Constituent	Bareilly
8.		Thakur Roshan Singh Constituent Government College, Navada, Darobast, Katra, Shahjahanpur	Constituent	Shahjahanpur
9.		Constituent Government College, Sahaswan, Budaun	Constituent	Budaun



**Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University**  
**List of Self Finance Colleges**

Sr.No.	Institute Code	Name	Institute Type	District
1	101	ADARSH MAHAVIDYALAYA, HARDUA, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
2	105	GAURISHANKAR MAHAVIDYALAYA, GULARIA UPRALA, AONLA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
3	110	KHANDELWAL COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
4	111	KHUSRO MEMORIAL DEGREE COLLEGE, C.B. GANJ, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
5	112	MAHARAJA AGRASEN MAHAVIDYALAYA, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
6	115	RAKSHPAL BAHADUR MANAGEMENT INSTITUTE, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
7	116	REGIONAL COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES & RESEARCH, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
8	119	SHRIJI INSTITUTE OF LEGAL AND VOCATIONAL EDUCATION & RESEARCH, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
9	120	SPRINGDALE MAHILA MAHAVIDYALAYA, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
10	122	SURAJBHAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
11	123	L.P.S. GROUP OF INSTITUTE AND MEDICAL SCIENCE, AONLA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
12	124	JYOTI COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
13	125	BABA RAMDAS MAHAVIDYALAYA, SAIDPURKANI, BHOLAPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
14	127	CLASSIC COLLEGE OF LAW, MAHESHPUR THAKURAN, BUDAUN ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
15	128	JAMUNA PRASAD MEMORIAL COLLEGE, BHAIKPUR KHAZURIA, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
16	129	SIRSA COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, SIRSA, BAHERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
17	130	VISHAL KANYA DEGREE COLLEGE, IZZAT NAGAR, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
18	131	DARSHAN SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, BAHERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
19	132	PRITEE RURAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY & EDUCATION, BHUTA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
20	133	SWAMI DAYANAND DEGREE COLLEGE, MEERGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
21	134	ACME INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, KARIMNAGLA, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly

22	135	RAKSHPAL BAHADUR TEACHER'S TRAINING INSTITUTE, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
23	137	FUTURE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, LUCKNOW ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
24	138	UTKARSH SCHOOL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, RAMPUR ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
25	139	A.N.A. COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, DELHI ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
26	140	KASHI RAM MEMORIAL COLLEGE, MANPUR, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
27	141	P.G.I. OF MANAGEMENT, LUCKNOW ROAD, PO RAJAU ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
28	142	CHAUDHARY HARNAM SINGH MAHAVIDYALAYA, BHUTA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
29	143	LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT, 16 KM. LUCKNOW ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
30	144	TRILOKCHANDRA DEGREE COLLEGE, CHITAULY, FATEHGANJ (WEST) ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
31	145	ANUBIS DEGREE COLLEGE, RAMPUR ROAD, MEERGANG ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
32	146	GLORIOUS COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, FATEHGANJ EAST (BAREILLY)	Non-Aided	Bareilly
33	147	SHIVGYAN DEGREE COLLEGE MANG. & TECH., KHANDAUA, C.B. GANJ (BAREILLY)	Non-Aided	Bareilly
34	148	SARDAR BALLABH BHAI PATEL DEGREE COLLEGE, BHOJIPURA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
35	151	SRAJAN INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, FATEHGANJ(WEST), BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
36	152	RAJSHREE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
37	153	D.S.R. DEGREE COLLEGE, PIPRA NANKAR, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
38	155	JAWAHAR LAL LODHI DEGREE COLLEGE, MADKARA JAGANNATHPUR, AONLA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
39	156	NIHAL SHYAM COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCE & TECH., BARKAPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
40	157	LAL BAHADUR SHASTRI COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, BISALPUR ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
41	158	K. P. PATEL MAHILA MAHAVIDYALAYA, JIGANIYA, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
42	159	AALA HAZRAT DEGREE COLLEGE, DEORANIYA, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
43	161	ADARSH KANYA MAHAVIDYALAYA, RAMPUR BUJURG ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
44	162	BABA FARID COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, FARIDPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
45	163	SHRI SIDDHI VINAYAK INSTITUTE OF MANAGEMENT, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
46	164	GANGASHEEL MAHAVIDYALAYA, FAIZULLAHPUR, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
47	166	VIDYASHRI PARTH MAHAVIDYALAYA, FARIDPUR, KHUDAGANJ ROAD ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
48	167	R.B. DEGREE COLLEGE, SHERGARH, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
49	168	MASCOT COLLEGE OF EDUCATION, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
50	169	SMT. SHANTI DEVI DEGREE COLLEGE, RITHORA, DHARMPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly

51	170	MAA VAISHNO DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, BHAGOTIPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
52	171	NEW KHUSRO DEGREE COLLEGE, AONLA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
53	172	L.B.S. GROUP OF EDUCATION INST. OF MGT. COLLEGE, NAWABGANJ (BAREILLY)	Non-Aided	Bareilly
54	173	SANT KABIRDAS DEGREE COLLEGE, CHANDOKHA, BHUTA, FARIDPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
55	174	J.D.S. DEGREE COLLEGE, BHAGWANPUR, BHUTA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
56	175	SHREE DEV VIDYAPEETH MAHILA MAHAVIDYALAYA, ATAMANDA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
57	176	RADIONS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, FATEHGANJ (WEST), ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
58	179	MUKTA PRASAD DEGREE COLLEGE, SHERGARH ROAD, SHAHI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
59	180	SMT. SAVITRI DEVI MEMORIAL DEGREE COLLEGE, TAIYATPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
60	181	ARYADEV MAHAVIDYALAYA, TISUA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
61	182	NARAYAN COLLEGE, SHITHRA, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
62	183	LALA SIPTTAR LAL RAMBETI DEGREE COLLEGE, HARRAMPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
63	184	DR. BABU RAM GANGWAR SMARAK COLLEGE, ROOPPUR ROAD, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
64	185	ASIAN VIDHI EVAM NAYAYIK VIGYAN MAHAVIDYALAYA, KHAMPUR URF GANGAPUR, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
65	187	GLOBAL INSTITUTE, VILLAGE PURNAPUR, BISALPUR ROAD ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
66	188	S.R. DEGREE COLLEGE, MAIKPUR BHUTA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
67	189	RAJSHREE LAW COLLEGE, LABHERA, POST RITHORA, NAWABGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
68	191	SHRI RAM MURTI SMARAK COLLEGE OF LAW, POST BHOJIPURA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
69	193	JANKI DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA, ANANDPUR DUNKA, MEERGANJ ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
70	197	J & A DEGREE COLLEGE, BAKERI ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
71	198	R.K. INSTITUTE OF HIGHER STUDIES, DEVARANIYA, FARIDPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
72	199	GAUTAM BUDDH MAHAVIDYALAYA, FIROJPUR ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
73	201	GANNA KRISHAK MAHAVIDYALAYA, POORANPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
74	203	HAFIZ RAHMAT KHAN LAW DEGREE COLLEGE, PILIBHIT	Non-Aided	Pilibhit
75	204	PUSHP INSTITUTE OF SCIENCES & HIGHER STUDIES, PILIBHIT	Non-Aided	Pilibhit
76	206	SPRINGDALE COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, PILIBHIT	Non-Aided	Pilibhit
77	207	SWAMI EDUCATIONAL COMPLEX, POORANPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
78	209	J.M.B. INSTITUTE OF LIFE SCIENCES & HIGHER EDUCATION, PILIBHIT	Non-Aided	Pilibhit

79	210	SHAFI DEGREE COLLEGE, BISALPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
80	211	D.P.P. DEGREE COLLEGE, VILLAGE DHANKUNA, POST SAKHOLA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
81	212	CHAUDHARY NIHAL SINGH MAHAVIDYALAYA, AIMI ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
82	213	ADESH COLLEGE OF EDUCATION (MAHILA DEGREE COLLEGE), BISALPUR( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
83	214	SURAJ BHAN COLLEGE, CHAUSAR PADIYA, BISALPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
84	215	SAI COLLEGE ( MAHILA ), RAMPURA MISHRA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
85	216	KHUSRO DEGREE COLLEGE, NAWADAKANJA (BAKARGANJ), JAHANABAD ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
86	217	SHRI SAI GIRLS DEGREE COLLEGE, PURANPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
87	218	DIVINE COLLEGE, ALIGANJ ROAD, PILIBHIT	Non-Aided	Pilibhit
88	219	THE GREAT RAMSWAROOP PRAKASH KUMARI MEMORIAL DEGREE COLLEGE (PILIBHIT)	Non-Aided	Pilibhit
89	220	M.J.K. DEGREE COLLEGE, VEERKHEDA, KALINAGAR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
90	221	LAKSHYA ACADEMY OF HIGHER STUDIES, ASSAM ROAD, POORANPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
91	222	SHAHJI DEGREE COLLEGE, MADHOPUR CHAURAH, AMARIA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
92	223	HAFIZ RAHMAT KHAN DEGREE COLLEGE, TURKUNIYA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
93	224	HAFIZ RAHMAT KHAN DEGREE COLLEGE, CHANDOI ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
94	225	BRIGHT FUTURE DEGREE COLLEGE, GAJROULA, KALAN, SAHRAI ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
95	227	BALA DEVI ROSHAN LAL COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, BISALPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
96	228	UMA DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA, JAHANABAD ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
97	229	KRISHNA NARESH MAHAVIDYALAYA, GAUHANIA, BILSANDA, BISALPUR (PILIBHIT)	Non-Aided	Pilibhit
98	230	HAR PRASAD RAM PYARI DEGREE COLLEGE, BARKHERA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
99	232	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, BITHRA ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
100	233	BAIJANTI DEVI MAHAVIDYALAYA, SONDA, BARKHERA, KALAN ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
101	234	PT. RAJENDRA PRASAD SMARAK MAHAVIDALAYA, VILLAGE KAJRI NIRANJANPUR, PURANPUR ( PILIBHIT )	Non-Aided	Pilibhit
102	301	AYODHYA PRASAD MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, UJHANI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
103	311	SYED DEGREE COLLEGE, SAIDPUR ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
104	312	PURSHOTTOOM LAL SHARMA DEGREE COLLEGE, DANDRA, SAHASWAN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
105	313	BUDAUN INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, KAKRALA ROAD, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
106	314	MUSLIM DEGREE COLLEGE, KAKRALA ( BADAUN )	Non-Aided	Budaun

107	315	HARIRAM SATYANARAYAN INST. OF HIGHER EDUCATION, ISLAM NAGAR ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
108	316	BANKEY BIHARI COLLEGE OF LAW, UJHANI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
109	317	ATMARAM MAHAVIDYALAYA, ALAPUR, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
110	318	BUDAUN KESRI CH. BADAN SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, ISLAMNAGAR, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
111	319	BANKEY BIHARI KANYA MAHAVIDYALAYA, UJHANI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
112	320	ACE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
113	321	ASIM SIDDIQUE MEMORIAL DEGREE COLLEGE, MEERA SARAI, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
114	322	KHAWAJA GHAREEB NAWAZ (KGN) DEGREE COLLEGE, BANKOTA ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
115	323	D.P. MAHAVIDHALAYA, SAHASWAN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
116	324	DARYAO SINGH RATHORE MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, GULARIA ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
117	325	RADHA KRISHAN DEGREE COLLEGE, SAMRER, DATAGANJ ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
118	326	KHUSRO MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SARKAURI, BISAULI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
119	327	KESHRI SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, TIKRI, USAWAN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
120	328	RAM BHAROSE SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, MALLAHPUR, JAGAT ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
121	329	H.P. INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, DATAGANJ ROAD ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
122	330	J.S. COLLEGE, FARUKRUKHABAD ROAD, BUDAUN	Non-Aided	Budaun
123	331	BABA PT. RAMCHANDRA SHARMA KANYA MAHAVIDYALAYA, BILSI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
124	332	RAMPAL SINGH SATYAVATI DEVI MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, DATAGANJ (BUDAUN)	Non-Aided	Budaun
125	333	PT. BHUPAL DAS MEMORIAL KANYA MAHAVIDYALAYA, BISAULI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
126	334	CHAUDHARY NIYAZ MUHAMMAD DEGREE COLLEGE, BHOOR, BISAULI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
127	335	PEETAM LAL MEMORIAL DEGREE COLLEGE, NIZAMPUR ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
128	336	ABDULLA DEGREE COLLEGE, GHABIYAE ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
129	337	P.C. SMARAK JANG BAHDUR SINGH KANYA MAHAVIDYALAYA, CHANGASI (BUDAUN)	Non-Aided	Budaun
130	340	SMT. BHAGWATI DEVI DEGREE COLLEGE, RUDAIN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
131	341	PREMVATI DEVI MAHAVIDYALAYA, NAGAR JHUNA, BILSI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
132	342	RAAFIAH COLLEGE OF EDUCATION, SAHASWAN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
133	344	SWARN ACADEMY FOR FUTURE EDUCATION, SATATI INCHA, BILSI ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
134	345	SMT. SANTOSH KUMARI PATHAK SMRATI MAHAVIDYALAYA, GOORA, BARAILLA MIAUN ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun

135	346	CHAUDHARY MAHAVIDYALAYA, DHAKIA, BINAVAR ( BUDAUN )	Non-Aided	Budaun
136	404	RAMRATAN SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, ZAHIDPUR, SHAHABAD ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
137	405	MAHARAJA PRITHVIRAJ CHAUHAN DEGREE COLLEGE, SARAKTHAL, SWAR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
138	406	DR. RAM BAHADUR SINGH MEMORIAL MAHAVIDHALYA, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
139	407	BHAGWAN DEVI INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MEDHA NAGLA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
140	408	APEX COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER APPLICATIONS, KAUSHALGANJ ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
141	409	GLOBAL INSTITUTE OF EDUCATION, NARAYANPUR, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
142	410	DIXIT COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, NASRAT NAGAR, SHAHBAD ROAD ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
143	411	RAM RAHIM DEGREE COLLEGE, DARSHANPUR, SAIDNAGAR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
144	412	MAHARANI LAXMIBAI MAHAVIDYALAYA, JATPURA, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
145	413	SARASWATI KANYA MAHAVIDYALAYA, SARAKTHAL, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
146	414	SMT. SHANTI CHAUHAN SMARAK MAHAVIDYALAYA, KISHANPUR, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
147	415	UNITY DEGREE COLLEGE, SHIV NAGAR, ASALATPUR, SWAR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
148	416	JANTA MAHAVIDYALAYA, PEEPLI NAYAK, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
149	417	SUBHASH SMARAK DEGREE COLLEGE, CHHAPRRA, SWAR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
150	418	IMPACT COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, RAMPUR	Non-Aided	Rampur
151	419	HIMALAYA INSTITUTE OF EDUCATION, ZAHIDPUR, SHAHABAD ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
152	421	SITARA MAHAVIDYALAYA, KARANPUR, MOORSENA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
153	422	KHALSA MAHAVIDYALAYA, DHAWNJI HASANPUR, BILASPUR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
154	423	SHRI HEERA LAL SMARAK MAHAVIDYALAYA, MEHNDIPUR, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
155	425	SHRI HANSRAJ MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, KHAMARIA, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
156	426	SAVITRI DEVI MAHAVIDYALAYA, DHAKKA NAGALIYA, TANDA ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
157	427	SWAR MAHILA MAHAVIDYALAYA, ZAMIN GANJ, SWAR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
158	428	APEX COLLEGE OF EDUCATION, KAUSHALGANJ, BILASPUR ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
159	429	SAHARA DEGREE COLLEGE, JANU NAGAR, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
160	430	INTEGRAL DEGREE COLLEGE, SAIFNI ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
161	432	MAHADEV RAMSWAROOP DEGREE COLLEGE, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
162	433	RAMPUR COLLEGE OF LAW, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur

163	434	KHALSA DEGREE COLLEGE, NAGARIA, MILAK ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
164	435	DIXIT COLLEGE OF LAW, RAMPUR-SHAHBAD ROAD, NAZRAT NAGAR, RAMPUR	Non-Aided	Rampur
165	436	UNIVERSAL DEGREE COLLEGE, PATWAI MILAK ROAD, ROJODA, SHAHBAD ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
166	437	FATIMA GIRLS DEGREE COLLEGE, SUHAVA, SHAHBAD ( RAMPUR )	Non-Aided	Rampur
167	503	GANNA KISAN DEGREE COLLEGE, POWAYAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
168	507	SWAMI SHUKDEVANAND LAW MAHAVIDYALAYA, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
169	508	SHRI DHARMJEET SINGH MAHAVIDYALAYA, MIRZAPUR KALAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
170	509	SWAMI VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, PUWAYAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
171	510	RAM CHANDRA SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, MIRZAPUR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
172	511	LAKSYA INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
		SRI JADAOBADUR SINGH MEMORIAL		
173	512	MAHAVIDYALAYA, SIKANDARPUR, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
174	514	SUN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
175	515	VEERANGNA AVANTIBAI MAHAVIDYALAYA, KAHILIYA, HARDOI ROAD ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
176	516	ACCORD BUSINESS COLLEGE, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
177	517	SUBHADRA DEVI MULA RAM KRISAK P.G. MAHAVIDYALAYA, NIGOHI ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
178	519	NEW GREAT SCHOLARS DEGREE COLLEGE, ISLAMGANJ, ALLAHAGANJ ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
179	520	EK ONKAR SCHOLARS DEGREE COLLEGE, SHAHABAZNAGAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
180	521	KRISHNA MAHAVIDYALAYA, LALPUR, AAJADPUR, BANDA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
181	522	SHRI SATYAPAL SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SIURA, KATRA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
182	523	SATYAPAL SINGH MAHAVIDYALAYA, NAWADA INDEYPUR, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
183	525	SATYAPAL SINGH YADAV MAHAVIDYALAYA, KALAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
184	526	JANKI INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION FOR GIRLS, BISRAT ROAD, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
		SHRI RATAN SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, BHUDA, POWAYAN ( SHAHJAHANPUR )		
185	527	)	Non-Aided	Shahjahanpur
186	528	SHRI DHARMJEET SINGH VIDHI MAHAVIDYALAYA, MIRZAPUR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
187	529	KUBER SINGH MAHAVIDYALAYA, SIURA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
188	530	ROHILKHAND DEGREE COLLEGE, FATEHPUR CHUNGI, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
189	531	SARDAR PATEL MAHILA MAHAVIDYALAYA, BANDA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur

190	532	SAVITRI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, POWAYAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
191	533	OSHO DHYAN VIGYAN MAHAVIDYALAYA, KHUDAGANJ, TILHAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
192	534	JAI JAI RAM MAHAVIDYALAYA, MURADPUR, KHUTAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
193	535	KUNWAR UDAYVIRSINGH RAMSNEHI SINGH M.DEGREE COLLEGE, KALAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
194	536	SUN INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
195	537	MATA RAMA DEVI MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, JALALABAD ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
196	538	ISHWARI PRASAD RAMKALI DEVI MAHAVIDYALAYA,VIRASIN,NIGOHI ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
197	539	KUNWAR DURGA BAKSH MAHAVIDYALAYA, POWAYAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
198	540	PUTTU SINGH VERMA SOMVATI DEVI MAHAVIDYALAYA, TILHAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
199	541	MANOHAR LAL MAHAVIDYALAYA, KUTUAPUR, KURRIA KALAN, SADAR, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
200	542	BITOLI DEVI MAHAVIDYALAYA, KHUTAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
201	543	MAA DURGA MAHAVIDYALAYA (MAHILA), KAJRI NOORPUR, NIGOHI (SHAHJAHANPUR)	Non-Aided	Shahjahanpur
202	545	GANGARAM SETH DEGREE COLLEGE, KALAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
203	546	LALA RAM MAHAVIDYALAYA, VILLAGE SHRINAGAR, KALAN, JALALABAD ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
204	547	H.N.A. ROHILKHAND DEGREE COLLEGE, KHERA BAJHERA, TILHAR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
205	548	SHRI SHIV MANGAL SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE,MIRZAPUR (SHAHJAHANPUR)	Non-Aided	Shahjahanpur
206	549	VINOBA VIDYAPEETH, BARTARA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
207	550	SWAMI JAIDEV YOGIRAJ MAHAVIDYALAYA, MADNAPUR ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
208	551	VIDYA DEVI MAHAVIDYALAYA, PATNA, BANDA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
209	552	SHYAMVEER SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, GADIYA RAGEEN (SHAHJAHANPUR)	Non-Aided	Shahjahanpur
210	553	DR. RAM MANOHAR LOHIA KANYA MAHAVIDYALAYA, POWAYAN ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
211	555	DR. D.P. SINGH MAHAVIDYALAYA, HATHODA BUJURG, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
212	557	ANJANI GIRDHARI ADARSH MAHAVIDYALAYA, SAHORA, KALUAPUR, SINDHOLI ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
213	601	BABU RAMPAL SINGH MAHAVIDYALAYA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
214	603	BHAGWANT SINGH MAHAVIDYALAYA, KUANKHERA, KHALSA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
215	609	GRAMODAYA MAHAVIDYALAYA & RESEARCH INSTITUTE, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad

216	614	ASIAN LAW COLLEGE, HARORA, SHAHBAD ROAD, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
217	617	MORADABAD MUSLIM MAHAVIDYALAYA, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
218	618	MUSLIMA GIRLS DEGREE COLLEGE, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
219	620	ROSHAN LAL SHANTI DEVI ACADEMY, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
220	623	R.H.M. COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, HARSAINPUR, MUNDHA PANDEY ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
221	624	SHRI GOVIND MAHAVIDYALAYA, TEWARKHAS, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
222	627	WILSONIA DEGREE COLLEGE, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
223	628	S.K.D.M. INSTITUTE OF EDUCATION, SIRASWAN, HARCHAND ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
224	630	SUKHDAI SMARAK MAHAVIDYALAYA, RATUPURA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
225	632	SHRI BALAJI ACADEMY, MAHMOOD BASTAUR, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
226	633	RUKMANI MAHAVIDYALAYA, LODHIPUR RAJPUT ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
227	635	SHRI K. D. NAGAR MEMORIAL DEGREE COLLEGE, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
228	636	RISHI BAL MAHAVIDYALAYA, PATTI MAUDHA, KANTH ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
229	638	HANEEF MEMORIAL MUSLIM DEGREE COLLEGE, UMRI KALAN, KANTH ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
230	642	HARI-MANGAL MAHAVIDYALAYA, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
231	644	MORADABAD COLLEGE OF LAW, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
232	646	LORD MAHAVIRA COLLEGE OF LAW, BIJNA KASHIPUR ROAD, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
233	647	UNIQUE COLLEGE OF LAW, NEAR CHAUDHARPUR, DELHI ROAD ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
234	648	SUKHDAI SMARAK B.ED. COLLEGE, RATUPURA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
235	650	SHREE SATYA COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, LODHIPUR RAJPUT, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
236	651	CHANDRAPAL SINGH DEGREE COLLEGE, SHYODASPUR, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
237	652	BHAGWANT SINGH INST. OF PROFESSIONAL STUDIES, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
238	653	RAJPAL SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, RAMPUR GHOGHER ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
239	654	NATTHU SINGH DEGREE COLLEGE, KARANPUR, DILARI, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
240	655	YASHIKA KANYA DEGREE COLLEGE, MANPUR ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
241	656	SHRI BANKEY LAL MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, GARI CHANDPUR ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
242	657	GIRAND SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, PILAKPUR, DELARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
243	658	BARIK MAHAVIDYALAYA, SEHALI KHADDAR, POST DILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad

244	659	DHARAMVEER SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SULTANPUR DOST ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
245	660	NEW SAINIK COLLEGE OF LAW, P.O. KUNDERKEE, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
246	661	SRI PARASNATH INSTITUTE OF EDUCATION & TECH., PIPALSANA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
247	662	KRISHNA MAHAVIDYALAYA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
248	664	JEewan LAKSHYA DEGREE COLLEGE, HATHIPUR WAHAUDIN, BILARI (MORADABAD)	Non-Aided	Moradabad
249	666	HABIBI INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, GURER, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
250	667	MAYFAIR COLLEGE, PANDIT NAGLA BYPASS, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
251	668	RAM CHARAN MAHATAVIYA DEVI MEMO. MAHAVIDYALAYA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
252	669	RADHA SWAMI PUBLIC MAHAVIDYALAYA, TAGALA, DILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
253	670	SWAMI RAM TEERTH KANYA MAHAVIDYALAYA, PACHOKARA, KANTH ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
254	672	SHRI RAMGOPAL SINGH MAHAVIDYALAYA, SULTANPUR DOST ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
255	673	RAJKIRAN DEGREE COLLEGE, YAKUTPUR, AKKA DILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
256	674	GURU JAMESHWAR MAHAVIDYALAYA, SARKARA VISHNOI, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
257	677	AHILYABAI HOLKAR COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, ASLEMPUR (MORADABAD)	Non-Aided	Moradabad
258	679	S.L. EDUCATION INSTITUTE, PALLUPURA GHOSI, PO PAKWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
259	680	MAHARSHI DAYANAND SARASWATI LAW COLLEGE, BHADASNA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
260	681	M.H. MEMORIAL DEGREE COLLEGE, GWARKHEDA HARORA, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
261	682	RADHA GOVIND COLLEGE OF EDUCATION, NOORPUR, HUSSAINPUR ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
262	683	S.D. MAHAVIDYALAYA, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
263	684	SHRI VEDRAM COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, LODHIPUR RAJPUT, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
264	685	HARKALI DEVI GIRLS DEGREE COLLEGE, LONGI KALA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
265	686	IMAMUDDIN TURKI MEMORIAL INST. OF HIGHER EDU., KUNDERKI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
266	687	MAA GAYATRI COLLEGE OF EDUCATION, KAZIPURA, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
267	688	SMT. BHAGIRATHI DEVI MEMORIAL DEGREE COLLEGE, RAMPUR GHOGHER (MORADABAD)	Non-Aided	Moradabad
268	689	B.S. B.ED. COLLEGE, RAMUWALA GANESH, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
269	691	NANHI DEVI RAGHUNATH SINGH SMRATI KANYA MAHAVIDYALAYA, PEEPLI GHANSHYAM, SURJANNAGAR (MBD)	Non-Aided	Moradabad

270	692	MOHD. IRFAN ROYAL GIRLS DEGREE COLLEGE, BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
271	693	WISDOM EDUCATION COLLEGE, FATEHPUR VISHNOI, KANTH ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
272	694	R.S.D. ACADEMY (GIRLS DEGREE COLLEGE), RAM GANGA VIHAR, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
273	695	RIZWAN GIRL'S DEGREE COLLEGE, AKBARPUR CHAIRY, KANTH ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
274	696	PARSHVNATH COLLEGE OF EDUCATION, KUTCHAWALI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
275	697	DIGAMBER JAIN COLLEGE OF EDUCATION, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
276	699	S.R.A.D. COLLEGE OF EDUCATION, GINDAURA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
277	071	S.B. COLLEGE OF LAW, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
278	072	PARVATI DEVI MAHAVIDYALAYA, PAIGAMBERPUR, ALHAIPUR MOHKAM, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
279	073	MARIAM GIRLS COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, KIRATPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
280	075	OM COLLEGE OF EDUCATION, ISLAMNAGAR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
281	076	BASTA DEGREE COLLEGE, BASTA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
282	077	KRISHNA INSTITUTE OF SCIENCE, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
283	078	J.K. MODERN LAW COLLEGE, NAGINA ROAD, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
284	079	S.S.D. LAW COLLEGE, GARMALPUR, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
285	080	VARNIKA DEGREE COLLEGE, NOOR PUR HATTI, P.O. SAIDPUR MAHICHAND, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
286	081	JAI CHAMAN MAHAVIDYALAYA ( MAHILA ), SARAI ASNARA, KHADSAL, NEHTAUR ROAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
287	082	GOLDEN COLLEGE OF EDUCATION, HARKISHANPUR, P.O. ALLEHPUR, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
288	083	HALDAUR DEGREE COLLEGE, BALDIYA, HALDAUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
289	084	VEER KUNWAR COLLEGE OF LAW, V.K. PURAM, NAGINA ROAD, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
290	085	MOTI SINGH MEMORIAL COLLEGE, GAZIPUR, SABHACHAND, PO HARGANPUR, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
291	086	ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, MHGASI, DARANAGAR GANJ, ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
292	087	GULSHAN SINGH MEMORIAL COLLEGE OF LAW, BAKAINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
293	091	ABDUL SAMI MEMORIAL LAW COLLEGE, KIRATPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor

294	701	DEVTA MAHAVIDYALAYA, MÖRNA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
295	702	DHAMPUR DEGREE COLLEGE, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
296	704	KEVLANAND B. ED. COLLEGE, DARANAGAR GANJ ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
297	705	KRISHNA GOPAL MAHAVIDYALAYA, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
298	706	KRISHNA COLLEGE OF LAW, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
299	707	KRISHNA COLLEGE OF SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
300	708	LAL BAHADUR SINGH SMARAK DEGREE COLLEGE, GOHAWAR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
301	709	NEHTAUR DEGREE COLLEGE, NEHTAUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
302	712	RAMA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, KIRATPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
303	713	RAMA JAIN KANYA MAHAVIDYALAYA, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
304	716	SRI DHANNARAYAN RAMNARAYAN DANI MAHILA MAHAVIDYALAYA, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
305	718	VIVEK COLLEGE OF EDUCATION, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
306	719	VIVEK COLLEGE OF LAW, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
307	720	VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, DARBARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
308	721	DHARAMVEER INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, NOORPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
309	722	S.P. COLLEGE, TIGRI, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
310	723	DISHA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
311	724	SHRI RAM INSTITUTE OF EDUCATION, SARAKTHAL MADHO, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
312	725	AFZALGARH MAHAVIDYALAYA, AFZALGARH ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
313	726	RADHEY LAL MEMORIAL COLLEGE, AFZALGARH ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
314	728	DHAMPUR LAW COLLEGE, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
315	729	VEER KUNWAR DEGREE COLLEGE, NAGINA ROAD, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
316	730	PRATHVIRAJ CHAUHAN INSTITUTE OF EDUCATION & TECH., DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
317	731	LALA RADHEY SHYAM GIRLS DEGREE COLLEGE, KOTWALI ROAD, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
318	732	PREMWATI DEVI SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, PURAINI ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
319	733	LOKMANI MEMORIAL DEGREE COLLEGE, KADRABAD KHURD, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
320	734	JANTA DEGREE COLLEGE, NEHTOR CHAURAHA, NOORPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
321	735	LAKSYA COLLEGE OF LAW, BAGWARA, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
322	736	RAJNEESH PRATAP SINGH MAHAVIDYALAYA, HALDAUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor

323	737	CITY DEGREE COLLEGE, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
324	738	SRI HARIPAL SHASTRI SMARAK MAHAVIDYALAYA, PHEENA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
325	739	SHAKUNTALA DEGREE COLLEGE, NOORPUR ROAD, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
326	740	RAM PAL SINGH MAHAVIDYALAYA, CHANDAK ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
327	741	NALANDA MAHAVIDYALAYA, KASAMPUR, DHANNAMAFI URF PATTI ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
328	742	LAKSHYA COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, BAGWARA, SEOHARA( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
329	743	SWAMI KALYAN DEV MAHAVIDYALAYA, ALHAIDADPUR MUBARAK ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
330	744	SHRI VIKRAM SINGH DEGREE COLLEGE, MOHAMMADPUR, RAJORI ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
331	745	MAULANA MOHAMMED ALI JOHAR HIGHER EDUCATION INST., KIRATPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
332	746	NORTH INDIA COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
333	747	SHANTI NIKETAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RAHU NANGLI, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
334	748	LALA RADHEY SHYAM COLLEGE OF LAW, KOTWALI ROAD, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
335	749	SANTOSH SMARAK MAHAVIDYALAYA, DODRAJPUR, KAYAM NAGAR, NAGINA (BIJNOR)	Non-Aided	Bijnor
336	750	RAM SINGH CHAUHAN MEMORIAL DEGREE COLLEGE, REHAR, BADIGARH, ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
337	751	S.S.D. COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, GARMALPUR, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
338	752	GURUKUL COLLEGE, RAWANA SIKARPUR, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
339	753	GAHLAUT COLLEGE, HALDAUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
340	754	KRISHNA COLLEGE OF EDUCATION, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
341	755	VINAYAK COLLEGE, KOTWALI, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
342	756	MATA KAMALA DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, BISHANPURA, NEHTAUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
343	757	D.V.M. MAHAVIDYALAYA & TECHNICAL COLLEGE, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
344	758	INDRA DEVI MEMORIAL GIRLS DEGREE COLLEGE, MORNA, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
345	759	LOKMANI LAW SCHOOL, KADRABAD, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
346	760	D.M.R. DEGREE COLLEGE, BHAGUWALA, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
347	761	NORTH INDIA COLLEGE OF LAW, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
348	762	H.M.A. RIZVI PRASHIKSHAN SANSTHAN, PHEENA ROAD, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
349	763	L.B.S.S. DEGREE COLLEGE, GOHAWAR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
350	764	R.R.S. COLLEGE OF EDUCATION, AZAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor

351	765	JANTA COLLEGE OF EDUCATION, NAGAR PALIKA, NOORPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
352	766	DHARAMVEER DEGREE COLLEGE, BISHANPURA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
353	767	DHARAMVEER COLLEGE OF EDUCATION, BISHANPURA KOT ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
354	768	M.D.S. GIRLS COLLEGE OF EDUCATION, FUNA, POST FINA, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
355	769	CHANDPUR DEGREE COLLEGE, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
356	770	CHANDPUR DEGREE COLLEGE OF LAW, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
357	771	GREATER VALLEY COLLEGE OF EDUCATION, NAJIBABAD ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
358	772	PREM SINGH SWATANTRATA SENANI MAHAVIDYALAYA, BHATIYANA KHUSHALPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
359	773	IQBAL GAFOOR PUBLIC DEGREE COLLEGE, MAJOLA, BILLOCH ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
360	774	VIVEK COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
361	775	AASRA COLLEGE, KARANPUR, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
362	776	SEVADHAM MAHILA MAHAVIDYALAYA, RATANGARH, ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
363	777	HARI SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, NARAYANPUR, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
364	778	M.D. COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, NEAR CHAMUNDA MANDIR, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
365	779	AKHTARI QURESHI GIRLS DEGREE COLLEGE, SAHASPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
366	780	R.D. MEMORIAL DEGREE COLLEGE, MANPUR, SHIVPURI, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
367	781	GURU NANAK DEGREE COLLEGE, UMARPUR KHADAR, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
368	782	SHRI RAM GAMBHIR KASTURI LAL ABBI GROUP OF COLLEGES, BALDIA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
369	783	BAL VIKAS MAHAVIDYALAYA, KUTUPUR GUNWARI, CHANDPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
370	784	BABA LAXMAN DAS MAHAVIDYALAYA, SARKARA, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
371	785	LAKSYA COLLEGE OF ADVANCE EDUCATION, BAGWARA, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
372	786	SEOHARA DEGREE COLLEGE, SEOHARA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
373	787	ARYA KHJANO DEVI MAHAVIDYALAYA, BOHRA, BASTA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
374	788	RAJENDRA PRASAD MEMORIAL DEGREE COLLEGE, WAJIDPUR, HAREWALI ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
375	789	KUNWAR MAHAVIDYALAYA, MAHAWATPUR, JATPURA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
376	790	R.G.N.P. DEGREE COLLEGE, TAJPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
377	791	KUNWAR SATYAVIRA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
378	792	V.D.M. COLLEGE OF MANAGEMENT, DHAMPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor

379	793	SKY GIRLS DEGREE COLLEGE, JHALU ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
380	794	AKSH INTERNATIONAL COLLEGE, RAJA KA TAJPUR, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
381	795	MANDAWAR DEGREE COLLEGE, MANDAWAR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
382	796	NAJIBABAD DEGREE COLLEGE, NAGINA ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
383	797	BABU ISHWARI PRASAD RAWAL MEMORIAL COLLEGE, SHAHJADPUR ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
384	798	SHRI SARASWATI DURGA MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHERKOT ( BIJNOR )	Non-Aided	Bijnor
385	799	BHAGIRATHI INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECH., MANDORI, SEOHARA (BIJNOR)	Non-Aided	Bijnor
386	802	BHAGIRATHI DEVI MAHAVIDYALAYA, MANDI DHANORA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
387	803	HARBANSH DAYAPRAKASH SHYAMADEVI MAHAVIDYALAYA, DHAVARSI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
388	804	HASHMI MAHILA MAHAVIDYALAYA, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
389	806	MUSAVVIR HUSAIN BAQRI MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, SAIDNAGLI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
390	807	NAYAB ABBASI MAHILA MAHAVIDYALAYA, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
391	809	RASHIDA BEGUM MUSLIM MAHAVIDYALAYA, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
392	810	WASEEM TURKI MUSLIM DEGREE COLLEGE, FATEHPUR MAFI, PALAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
393	811	YAMEEN MOHAMMAD SAIFI DEGREE COLLEGE, MANDI DHANORA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
394	812	TEJU SINGH MEMORIAL LAW COLLEGE, SHAHBAJPUR, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
395	813	HAKIM MAHTABUDDIN HASHMI LAW COLLEGE, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
396	814	JHAMMAN LAL P.G. DEGREE COLLEGE, HASANPUR, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
397	815	FAROOQ ASLAM DEGREE COLLEGE, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
398	816	SAHAS DEGREE COLLEGE, NAUGAWAN SADAT, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
399	817	KUNDAN SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, KAURALA, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
400	819	SRI RAM COLLEGE OF EDUCATION, GAJROLA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
401	820	ABDUL RAZZAQ DEGREE COLLEGE, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
402	821	TEJU SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SHAHBAJPUR, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
403	822	INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
404	823	MAYA SHAMSI DEGREE COLLEGE, BIJNOR ROAD, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
405	824	JAI SHIV MAHAVIDYALAYA, BUDERANA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
406	825	SHAHEED BHAGAT SINGH INST.OF MANAGEMENT & TECH., RAMHUT( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
407	826	LANDMARK INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, DIDAULI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar

408	827	GILL INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, PAKBADA ROAD, KAILSA (AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
409	828	N. T. DEGREE COLLEGE, SAID NAGLI, HASANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
410	829	SHRI DEVI SINGH INSTITUTE OF EDUCATION, GAJSTHAL ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
411	830	SMT. SHEELA SMARAK SIKH MAHAVIDYALAYA, KHANDSAL KALAN ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
412	831	SHAMA PARVEEN GIRLS DEGREE COLLEGE, NH-24, HARIYANA, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
413	832	SRI KISHAN SINGH DEGREE COLLEGE, CHONTI PURA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
414	833	SARDAR BEGUM MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SAMBHAL ROAD, HASANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
415	834	CH. SHER SINGH CHIKARA SMARAK MAHAVIDYALAYA, KAILBAKRI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
416	835	GURU TEG BAHADUR DEGREE COLLEGE, CHHAVI,POST KOTHI KHIDMATPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
417	836	ALI MOBEEN SNATAK MAHAVIDYALAYA, KHETAPUR JAHANGEERPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
418	837	UMAPATI MAHADEV BALIKA MAHAVIDYALAYA, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
419	838	CHAUDHARY GAYASUDDIN MAHAVIDYALAYA, UJARI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
420	839	D.N.S. COLLEGE, DIDAULI, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
		MAHARAJA AGARSEN COLLEGE OF EDUCATION & MANAGEMENT, GAJRAULA ( AMROHA )		
421	840	)	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
422	841	RAFFEQ HUSSAIN MEMORIAL DEGREE COLLEGE, DIDAULI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
423	842	SAGAR COLLEGE OF EDUCATION, MUREEDPUR, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
424	843	BABA HARDEV SINGH MAHAVIDYALAYA, MANDI DHANAURA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
425	844	BILAL AKHTAR LAW COLLEGE, JAHOOR NAGAR, UJHARI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
426	845	BHARTIYA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, DEHRI KHURRAM ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
427	846	L. S. VIDYAPEETH, BAHAPUR, HASANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
428	847	AMANI GROUP OF INSTITUTIONS, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
429	848	SMT. SUDESH DEVI MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, HASANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
430	849	INDRAPRASTHA COLLEGE OF EDUCATION, SHAHWAPUR KALAN ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
431	850	CHIRANJI LAL COLLEGE OF EDUCATION, DAGROLI, HASANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
432	852	J.N.S. KASHMIRI KANYA DEGREE COLLEGE, DHANORA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
433	853	MOON DEGREE COLLEGE, DHANORA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
		AMAR SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SHERPUR ROAD,MANDI DHANORA (		
434	854	AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar

435	855	ANAND DEGREE COLLEGE, CHAUPURA, DHANAURA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
436	856	KUNDAN SINGH MEMORIAL COLLEGE OF LAW, KHAD GUJAR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
437	857	BADLU HASAN MEMORIAL DEGREE COLLEGE, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
438	858	SIDDHARTH SHIKSHAN SANSTHAN, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
439	859	S.L.J. DEGREE COLLEGE, HAKAMPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
440	860	ANEKANT COLLEGE OF HIGHER EDUCATION, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
441	861	D.S.M. ACADEMY, DHANAURA ROAD, AFZALPURLOOT ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
442	862	TURKI COLLEGE OF EDUCATION, HARYANA, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
443	863	SHRI RAMSWAROOP MAHAVIDYALAYA, LADANPUR, DHANAURA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
444	864	DEEP CHANDRA SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, AFZALPURLOOT ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
445	865	AMROHA COLLEGE OF LAW, KESHOPUR, KAILSA ROAD, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
446	866	BILAL AKHTAR LAW COLLEGE, UJHARI ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
447	867	ABDUL RAZZAQ LAW COLLEGE, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
448	872	SHRIMAD DAYANAND KANYA GURUKUL MAHAVIDYALAYA, CHOTIPURA, RAJABPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
449	873	ADYANT INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, DARIYAPUR BUJURG, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
450	874	A.S.K. INSTITUTE OF EDUCATION ( MAHILA MAHAVIDYALAYA ), N.H.-24, BUDHANPUR ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
451	875	AABAN EDUCATION INSTITUTE, JOYA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
452	931	BABU RAM SINGH BHAY SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, BABRALA ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
453	933	JUGAL KISHORE DEGREE COLLEGE, GOWAN ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
454	934	BAHJOI MAHAVIDYALAYA, BAHJOI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
455	937	MODEL PUBLIC LAW COLLEGE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
456	940	MODEL PUBLIC EDUCATION COLLEGE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
457	941	SIRSI SADAT DEGREE COLLEGE, SIRSI SADAT ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
458	942	ROTARY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
459	943	SHRI KRISHNA INSTITUTE OF MANAGEMENT & SCIENCE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
460	944	SHRI SAI DEGREE COLLEGE, BHAWALPUR BANSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal

461	945	ROSHAN SINGH CHAUHAN SMARAK MAHAVIDYALAYA, ASMOLI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
462	946	RADHA KRISHNA MAHAVIDYALAYA, DHANSOLI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
463	947	HARPAL SINGH MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, SHAHPUR CHAMARAN,REHTAUL( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
464	948	DURGA MAHAVIDYALAYA, KHASPUR, VIA PAKBARA ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
465	949	SITARA BANNO MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SIRSI, BILARI ROAD ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
466	950	SWAMI DAYANAND SARASWATI EDUCATIONAL INSTITUTE, BHAWALPUR ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
467	951	SHAHEEN SMARAK MAHAVIDYALAYA, MANOUTA, ASMOLI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
468	952	MAYA DEVI SITARAM DEGREE COLLEGE, VICHETA KAZI, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
469	953	ABDUL RAZAQ MEMORIAL DEGREE COLLEGE, SHAHPUR DASAR, PAKWARA (SAMBHAL)	Non-Aided	Shambhal
470	954	SAMBHAL LAW COLLEGE, CHANDAWALI, HASANPUR ROAD, SINGHPURSANI (SAMBHAL)	Non-Aided	Shambhal
471	955	G.S.M. VIDYAPITH, CHITAWALI, SATPURA ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
472	956	KUNWAR KANCHAN SINGH MAHAVIDYALAYA, NARAULI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
473	957	MAYA DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA, BAHSORA, YUSUFFPUR NAGALYA ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
474	958	MAHARANI LAXMI BAI MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, FATTEHPUR BHAU ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
475	959	SHREE K.S. DEGREE COLLEGE, BHODA, BEGUMPUR, ASMOLI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
476	960	SHAHZAD HUSAIN DEGREE COLLEGE, CHIROLI BHAGWANTPUR, PAWANSA (SAMBHAL)	Non-Aided	Shambhal
477	961	A. H. M. A. DEGREE COLLEGE, AHROLA MAFI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
478	962	RAMVEER SINGH MEMORIAL DEGREE COLLEGE, CHHAPRA, GUNNAUR ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
479	963	SWAMI VIVEKANAND LAW COLLEGE, MANJHAWALI, CHANDAUSI, SAMBHAL	Non-Aided	Shambhal
480	964	SHRI GURU GOVIND SINGH COLLEGE OF EDUCATION, SAMBHAL	Non-Aided	Shambhal
481	966	ISHRAT GROUP OF INSTITUTIONS, TUTIPUR ILHA ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
482	967	MULAYAM SINGH YADAV DEGREE COLLEGE, BAHJOI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
483	968	BABU MUKUT BIHARI LAL JAIN MAHAVIDYALAYA, NADHAUS, BAHJOI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
484	969	S. B. H. AAZAD GIRL'S DEGREE COLLEGE, SAMBHAL	Non-Aided	Shambhal
485	972	GANGA SHYODAN SINGH KANYA MAHAVIDYALAYA, GUNNAUR ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
486	971	UDAYVEER SINGH KANYA MAHAVIDYALAYA, QASAMPUR JAGRUP, PAWANSA, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
487	973	SHYAMSUNDAR MEMORIAL LAW COLLEGE, CHANDAUSI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal

488	974	J.S.M.D. COLLEGE, GUMSANI ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
489	975	CHAUDHARY REWAT SINGH DEGREE COLLEGE, HANDALPUR ( SAMBHAL )	Non-Aided	Shambhal
490	121	S.R.M.S. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
491	136	GANGASHEEL SCHOOL OF NURSING, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
492	150	KESHLATA COLLEGE OF NURSING, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
493	154	S.R.M.S. INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
494	160	RAJSHREE MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, RAMPUR ROAD, MEERGANJ (BAREILLY)	Non-Aided	Bareilly
495	178	GANGASHEEL AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
		DHANVANTARI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CHITAULI, FATEHGANJ (WEST) ( BAREILLY )		
496	186	SHRI RAM MURTI SMARAK COLLEGE OF NURSING, POST BHOJIPURA ( BAREILLY )	Non-Aided	Bareilly
		RAJSHREE NURSING INSTITUTE, NH-24, RAMPUR ROAD, NEAR TOLL PLAZA, MEERGANJ ( BAREILLY )		
498	192	BAREILLY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, 12th K.M. Stone, PILIBHIT ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
499	194	RAKSHPAL BAHADUR COLLEGE OF NURSING, NEAR ITBP, BUKHARA TURN, BUDAUN ROAD, BAREILLY	Non-Aided	Bareilly
500	195	KRITIKA NURSING COLLEGE, KHAIKHEDA, NEAR KANDU BRIDGE, PILIBHIT ROAD, NAWABGANJ (BAREILLY)	Non-Aided	Bareilly
501	196	FLORENCE NIGHTINGALE COLLEGE OF NURSING, SHAHJAHANPUR	Non-Aided	Shahjahanpur
		VARUNARJUN MEDICAL COLLEGE & ROHILKHAND HOSPITAL, BANTHRA ( SHAHJAHANPUR )		
503	554	VARUN ARJUN COLLEGE OF NURSING, BANTHRA ( SHAHJAHANPUR )	Non-Aided	Shahjahanpur
504	556	S.D. COLLEGE OF NURSING, OPPOSITE MANDI SAMITI, THAKURDWARA ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
505	600	SHRI SATYA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, PAKBADA, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
506	611	KOTHIWAL DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
507	613	R.S.D. ACADEMY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAM GANGA VIHAR, PHASE-III, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
508	625	VIVEKANAND COLLEGE OF NURSING, KANTH ROAD, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
509	645	C.L. GUPTA EYE INSTITUTE, RAM GANGA VIHAR, PHASE-II, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
510	698		Non-Aided	Moradabad

511	700	VIVEK COLLEGE OF AYURVEDIC SCIENCES AND HOSPITAL, BIJNOR	Non-Aided	Bijnor
512	868	SANJEEVANI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
513	869	W.T.M. AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, FATEHPUR MAFI, POST PALAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
514	870	BHARTIYA AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, VILLAGE KUDENA, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
515	871	GANGOTRI SCHOOL OF NURSING, NH-24, KAKATHER CROSSING, NEAR BRUHHAT, GAJRAULA ( AMROHA )	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
516	965	HAKIM RAIS UNANI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, MAKHDOOMPUR, SAMBHAL	Non-Aided	Sambhal
517	626	BANO MIYANJAAN MEMORIAL SALMANI LAW COLLEGE, MAHMOODPUR MAFI, MORADABAD	Non-Aided	Moradabad
518	94	SHRI RAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STUDIES, NAGINA ROAD, PIPAL SANA, DHAMPUR (BIJNOR)	Non-Aided	Bijnor
519	438	GURUKUL MAHAVIDYALAYA, VILL KHUSHALPUR, NEAR MASWASI, SWAR, RAMPUR	Non-Aided	Rampur
520	876	SHAMSHUL QAMAR GIRLS DEGREE COLLEGE, DIDAULI, AMROHA	Non-Aided	Jyotiba Phule Nagar
521		GRAMODAYA LAW COLLEGE, AMARPUR KASHI, BIA-BILARI ( MORADABAD )	Non-Aided	Moradabad
522		MOHAN LAW COLLEGE, AONLA, BAREILLY	Non-Aided	BAREILLY



# Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly- 243006, U.P., India

## (An ISO 9001:2015 Certified and NAAC accredited Institution)

**Vision:** To promote intellectual growth and shape their personal development; remain dedicated and serve humanity through the creation of well-rounded, multi-skilled and socially responsible global citizens.

### An Affiliating cum Residential University:

I. 24 University Departments II. 17 Government Colleges  
III. 29 Government Aided Colleges IV. 528 Private Colleges

**Courses offered:** I. 36 Post Graduate II. 15 Under Graduate III. Under graduate in Engineering IV. Undergraduate and Post Graduate Programmes in Pharmacy V. Under graduate in Hotel Management & Post Graduate in Management VI. 34 Doctoral Program VII. 9 Diploma and 20 PG Diploma VIII. 34 Doctoral Programmes IX. Under Graduate and Post Graduate programs in Agriculture



**Mission:** To Provide multidimensional quality education apart from being producer, preserver and propagator and an embodiment of global knowledge systems.

**Objective:** 1. To develop, preserve and augment best pedagogical infrastructure across the institutional community 2. To significantly enhance gross enrollment ratio 3. To employ, amass, and enrich the best minds in possession of the best academic and pedagogical skills and expertise as faculty and trainee-faculty, give them a duly supportive working environment.



### Faculty:

1. Applied Science
2. Engineering and Technology
3. Law
4. Management
5. Social Science
6. Education and Allied Science
7. Science
8. Arts
9. Commerce
10. Agriculture
11. Ayurved

### Departments:

1. Plant Science
2. Animal Science
3. Microbiology
4. Ancient History& Culture
5. Physics
6. Chemistry
7. Mathematics
8. Electronics& Communication
9. Computer Science& Information Technology
10. Electronics& Instrumentation
11. Electrical Engineering
12. Mechanical Engineering
13. Chemical Engineering
14. Pharmacy
15. Humanities
16. Business administration
17. Hotel management & catering Technology
18. Psychology
19. Law
20. English
21. Education
22. Adult Education
23. Social work
24. Economics

### Cells and Directorates:

1. Directorate of Research
2. Directorate of International Relations
3. Directorate of Social and Corporate Relations
4. Rohilkhand Incubation Foundation
5. Centre of Excellence for Multilingual Studies
6. Atal Centre for Artificial Intelligence
7. Grass Root Innovation Cell
8. Training& Placement Cell
9. Intellectual Property Right Cell
10. Centre of Excellence for Women Studies
11. Women Grievance Cell
12. Rohilkhand University Alumni Association

### Infra Structure:

1. Well Equipped Labs with latest equipments
2. Advance Sports Complex
3. Health Centre
4. Green campus
5. Wi-fi campus
6. Training& Placement Cell
7. State of Art infrastructure
8. Completely online admission& examination system

### New programs:

- M. Tech.-Ph.D. Dual degree in different branches of Engineering
- LL.M. with specialization
- PG Diploma In different specializations of Law
- Certificate, Diploma and PG Programs in different linguistics
- Certificate programs in women empowerment
- Ph.D. Programs in Ayurved